राजस्थान–सरकार

परिपत्र सं० 9/2016

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,
"कर–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(482)मुख्य/विधि/16/2864-2879 दिनांकः 5-12-16

समस्त
उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक,
राजस्थान

परिपत्र

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम–1998 की धारा 35, 37, 51, 53 व 55 में मुद्रांक प्रकरण दर्ज कर राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 64, 65, 66 एवं 67 में उनकी प्रकृति के अनुसार दस्तावेजों पर मुद्रांक कर निर्धारण करने के संबंध में निर्णय पारित करने के प्रावधान किये हुए है।

कलक्टर (मुद्रांक) के द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 65, 66 एवं 67 में दी गई निर्धारित प्रकिया को अपनाया जाकर 90 दिवस की अवधि में निर्णय पारित करना आवश्यक है।

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.7(482)मुख्य/विधि/16/485–656 दिनांक 30.3.16 व 2308–2322 दिनांक 26.10.16 के द्वारा मुद्रांक प्रकरणो का 90 दिवस की अवधि मे निस्तारित करने हेतु आपको पुनः निर्देशित किया जा चुका है।

जनलेखा समिति की बैठक में कलक्टर मुद्रांक के द्वारा उनके यहां लम्बित मुद्रांक प्रकरणो का 90 दिवस की अवधि में निर्णित नही किये जाने को गम्भीरता से लिया गया है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके यहां लम्बित मुद्रांक प्रकरणो का राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 65, 66, 67 के विधिक प्रावधानों के अनुसार मुद्रांक प्रकरण में संक्षिप्त जांच (Summary Enquiry) की कार्यवाही 90 दिवस में पूर्ण कर मुद्रांक प्रकरणों को निस्तारित किया जावें।

उक्त निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में इस आशय की प्रविष्टि की जा सकती है। कृपया अवगत रहे।

05-12-2016
(नन्नूमल पहाडिया)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ–7(482)मुख्य/विधि/16/2880-3380 दिनांकः 5-12-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
5.
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
8. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
9. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
10. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर, मुख्यालय, अजमेर को विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
11. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
12. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अति. महानिरीक्षक।
13. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

उप विधि परामर्शी,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर